

जगदीश्वर बनाम जगदीश  
45/21 (2021/204)  
निर्णय दिनांक 23/12/2024

नम्बर 327 के लगते अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बस्सी को आदेश दिये जाते हैं कि दिनांक 21.10.2022 की मौका जॉच रिपोर्ट में अंकित हरे रंग से प्रदर्शित आराजी खसरा संख्या 313/0.0506 है0 से होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। तथा रास्ते के काम में आयी भूमि एवज में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 327 में से अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे। दिनांक 21.10.2022 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार बस्सी को भिजवायी जावें।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी बस्सी  
जिला-जयपुर